न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

निगरानी संख्या 21/2023

श्री नौरतमल जैन पुत्र पुत्र स्व. श्री उत्तमचन्द जैन, जाति जैन, निवासी पारखों का मौहल्ला, ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्री शरद कुमार जैन (पारख), पुत्र स्व. श्री प्रेमचन्द पारख, जाति जैन, निवासी पारखों का मौहल्ला, ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
2. श्री उम्मेद कुमार जैन (पारख) जाति जैन, निवासी पारखों का मौहल्ला, ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़, पंचायत समिति पीसांगन, जिला अजमेर।
4. ग्राम सेवक एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़, पंचायत समिति पीसांगन, जिला अजमेर।
5. उप पंजीयक, कार्यालय उप पंजीयन पीसांगन, जिला अजमेर।

.....गैर निगरानीकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज0 अधिनियम 1994 विरूद्ध सरपंच, ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ द्वारा जारी पट्टा संख्या 29 बुक संख्या 732 दि. 05.12.2022

उपस्थित :–

1– श्री सरफूद्दीन, वकील निगरानीकर्ता की ओर से

2– श्री भवानीसिंह राजावत, वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से

–: आदेश :–

दिनांक– 10.10.2025

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर, अजमेर

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि यह निगरानी, ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ पंचायत समिति पीसांगन द्वारा श्री शरद कुमार जैन व श्री उम्मेद कुमार जैन के पक्ष में जारी आबादी भूमि का पट्टा – पट्टा संख्या 29, बुक संख्या 732 दिनांक 05.12.2022 को विधि विरूद्ध होना बताते हुए उक्त आक्षेपित पट्टे को निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

निगरानी प्राप्त होने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट के नाम नोटिस जारी किये जाकर आक्षेपित पट्टे से सम्बन्धित ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ का रिकॉर्ड मगंवाया गया तपश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गयी।

बहस प्रारंभ होने पर वकील निगरानीकार ने निगरानी में वर्णित तथ्यों की पुष्टि करने हेतु अवगत कराया कि ग्राम गोविन्दगढ़ में निगरानीकर्ता के प्लॉट/सम्पत्ति के सामने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने सार्वजनिक चौक की भूमिं पर अतिक्रमण कर चबूतरा व सीढ़ियों का निर्माण कर लिया है जिससे प्रर्थी के वाहन को आने जाने में काफी असुविधा हो रही है। उक्त अतिक्रमण की शिकायत, प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.02.2019 को अप्रार्थी संख्या 3 को लिखित में दी गयी। उक्त प्रार्थनापत्र पर सरपंच ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ ने अप्रार्थी सं 1 व 2 को निर्माण कार्य तुरन्त प्रभाव से बन्द करने व मालिकाना हक का साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। वार्ड पंचगणों की मौका रिपोर्ट दिनांक 24.02.2019 में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण होना पाया। ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु 20.09.2019 की तारीख तय कर, पुलिस जाब्ता व संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी पीसांगन को दिनांक 20.09.2019 को पत्र प्रेषित किया। तत्पश्चात अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं होने पर विकास अधिकारी पंस पीसांगन एवं जिला परिषद अजमेर को भी शिकायती प्रार्थनापत्र पत्र प्रेषित किये गये। जिला कलक्टर महोदय अजमेर को शिकायती प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर प्रकरण सर्तकता समिति में दर्ज किया गया। उपखण्ड अधिकारी पीसांगन ने पत्र दिनांक 14.06.2021 से जिला कलक्टर (सतर्कता) अजमेर को प्रेषित पत्र में अंकित किया कि शिकायतकर्ता श्री नौरतमल जैन के पास स्वयं के मकान का पट्टा नहीं है तथा पड़ोसियों के पास भी पट्टा नहीं है। अतः शिकायतकर्ता सक्षम एजेन्सी के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। प्रार्थी ने सरपंच ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ को आपत्ति प्रार्थनापत्र दिनांक 18.11.2022 प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम पट्टा जारी नहीं करने का निवेदन किया। विकास अधिकारी पंचायत समिति किशनगढ़ ने जिला जन अभाव अभियोग (सतर्कता) समिति अजमेर को सर्तकता प्रकरण सं 09/2022 द्वारा श्री नौरतमल जैन के संदर्भ में पत्र दिनांक 15.12.2022 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ द्वारा श्री शरद कुमार जैन व श्री उम्मेद कुमार जैन के पक्ष में संनिर्मित मकान का सीढ़ियों सहित पट्टा दिनांक 05.12.2022 को जारी कर दिये जाने से उक्त स्थान पर वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है, अतः प्रकरण निस्तारण योग्य है। विकास अधिकारी पंस पीसांगन के प्रत्युत्तर के आधार पर सतर्कता समिति ने प्रकरण का निस्तारण करते हुए सूचित किया कि प्रकरण में सतर्कता समिति के स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

वकील निगरानीकर्ता ने यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 165 के विपरीत सार्वजनिक चौक व आम रास्ते की भूमि का पट्टा जारी कर दिया है, अतः उक्त पट्टे को अवैद्य व विधिशून्य मानते हुए निरस्त किया जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने कथन किया कि अप्रार्थी सं 1 व 2 ने अपने पुश्तैनी मकान का विधिपूर्वक पटटा प्राप्त किया है। निगरानीकर्ता द्वारा व्यक्तिगत द्वेषतावश उक्त निगरानी प्रस्तुत की है। उन्होने कथन किया कि ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 22.08.2019 मे शिकायतकर्ता व अप्रार्थी संख्या 2 दोनो उपस्थित हुए जिसमें अप्रार्थी उम्मेद कुमार ने मौहल्लेवासिंयों के हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसमें मौहल्लेवासियों ने अप्रार्थी द्वारा किये जा रहे निर्माण पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने का कथन किया। ग्राम पंचायत की बैठक में मतभेद होने पर दिनाक 05.09.2019 को प्रकरण पंचायत समिति को प्रेषित किया गया। पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायत से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाहे जाने पर ग्राम पंचायत ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.10.2019 में अंकित किया अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया

अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर,
अजमेर

है तथा शिकायत निराधार है। उन्होने यह भी कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने पुश्तैनी मकान, जिसमे वे 160 वर्षो से निवासी है, का विधिपूर्वक पट्टा प्राप्त किया गया है। प्रार्थी के स्वयं के मकान का पट्टा नहीं होने तथा जिस भूमि पर उसका मकान स्थित है, वो दान की भूमि होने के कारण प्रार्थी द्वारा व्यक्तिगत द्वेषतावश शिकायतें की जा रही है। उन्होने यह भी कथन किया कि प्रार्थी की शिकायत पर ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.02.2019 को कमेटी गठित की गयी। कमेटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का बैठक दिनांक 05.03.2019 में सर्वसम्मति से अनुमोदन नहीं हाने पर मत विभाजन कराय गया, जिसमें पक्ष में 05 व विपक्ष में 09 मत प्राप्त हुए अर्थात बैठक दिनांक 05.03.2019 में बहुमत से यह निर्णय लिया गया कि अप्रार्थी द्वारा बनायी गयी सीढ़िया व चबूतरे से मौके पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो रहा है न ही आने या जाने का रास्ता बाधित हो रहा है। उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर उन्होने निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी को निरस्त करने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ द्वारा आक्षेपीय पट्टा संख्या 29 बुक संख्या 732 दिनांक 05.12.2022 (1558.71वर्गफीट) (173.79 वर्गगज) जारी किया था। उक्त भूखण्ड ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ की आबादी भूमि ग्राम गोविन्दगढ़ के खसरा नम्बर 2562/3324 में स्थित है। निगरानीकर्ता का कथन है कि उक्त भूखण्ड सार्वजनिक चौक व आम रास्ते की भूमि पर स्थित है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अतिक्रमण कर चबूतरा व सीढ़ियों का निर्माण किया गया, अतिक्रमण की शिकायत करने के बावजूद किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी अपितु ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में सीढ़ियों सहित पट्टा जारी की गयी। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा पंचायत समित, जिला परिषद व जिला जन अभियोग अभाव समिति में भी अप्रार्थी स 1 व 2 के विरूद्ध शिकायत दर्ज करायी गयी है परन्तु अप्रार्थी की शिकायत को निराधार माना गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी सं 1 से 4 ने अपने लिखित प्रत्युत्तर में यह अंकित किया है कि ग्राम पंचायत द्वार गठित कमेटी की रिपोर्ट को ग्राम पंचायत द्वारा मत विभाजन पश्चात बहुमत से खारिज करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा किये गये निर्माण को अतिक्रमण नहीं माना है। इस प्रकार निगरानीकर्ता यह सिद्ध करने में असफल रहे है कि आक्षेपीय पट्टा मे वर्णित भूखण्ड, ग्राम गोविन्दगढ़ के सार्वजनिक चौक/रास्ते की भूमि का भाग है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन निगरानी याचिका को निरस्त किया जाकर, ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ द्वारा श्री शरद कुमार जैन व श्री उम्मेद कुमार जैन के पक्ष में जारी आक्षेपीय पट्टा संख्या 29 बुक संख्या 732 दिनांक 05.12.2022 (1558.71वर्गफीट) (173.79 वर्गगज) को यथावत रखा जाता है।

आदेश आज दिनांक 10.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर,
अजमेर

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर,
अजमेर